न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री अनूप सिंह (आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2021/19
मुकदमा नम्बर 04/2021

दायर दिनांक : 11–01–20210

1. सोहनी देवी पत्नी श्री मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
2. राजेश कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढक(भू.अ.) तहसीलदार नवलगढ

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री सुरेश कुमार सीगड़
वकील प्रति. :– राजपैरोकार

दावा : अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956
:: निर्णय ::

दिनांक– 18–03–2021

वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम वाके देवीपुरा पटवार हल्का चिराणा की सरहद में खसरा नम्बर 896, 716, 780, 781, 782, 783, 795, 796, 797, 798 रकबा क्रमशः 1.16, 0.05, 0.03, 0.15, 0.05, 2.30, 0.04, 0.13, 0.03, 0.13 कुल किता 10 कुल रकबा 4.07 हैक्टर स्थित है जिसके वादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है काबिज है लगान अदा करते है तथा उपयोग उपभोग करते है।

मूलचन्द के फौत होने पर वारिसान का विरासत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज हुआ है जिसके तहत मूलचन्द के वारिस सोहनी देवी का नाम राजस्व रिकार्ड मे सहवन से सोनी दर्ज हुआ तथा इसी प्रकार मूलचन्द के वारिस राजेश कुमार का नाम सहवन से राजू दर्ज हुआ है लेकिन सहवन से वादीगण के घर पर पुकारे जाने वाले नाम से नामान्तकरण में मूलचन्द की पत्नी सोहनी देवी का नाम सोनी देवी दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ है। उसी प्रकार सहवन से घर पर पुकारे जाने वाले नाम से नामान्तकरण मूलचन्द के पुत्र राजेश कुमार का नाम राजू दर्ज हो गया है जो कि गलत दर्ज हुआ है। जबक वास्तविकता यह है कि वादीगा का सहीन नाम सोहनी देवी तथा राजेश कुमार है इस प्रकार वादीगण का नाम आधार कार्ड, मतदात पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, में सोहनी देवी तथा राजेश कुमार के नाम से है जिसकी प्रति इस दावें के साथ पेश की जा रही है जिसको दुरूस्त किया जावे।

विरासत में नामान्तकरण के आधार पर वादीयागण का नाम सोहनी देवी तथा राजेश कुमार जबकि रिकार्ड में सोनी देवी तथा राजू दर्ज हुआ है इस तरह की गलत एन्ट्री को शुद्ध/दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा बाबत दुरूस्ती 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में आवश्यक हुआ है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि राजस्व ग्राम वाके देवीपुरा पटवार हल्का चिराणा की सरहद में खसरा नम्बर 896, 716, 780, 781, 782, 783, 795, 796, 797, 798 रकबा क्रमशः 1.16, 0.05, 0.03, 0.15, 0.05, 2.30, 0.04, 0.13, 0.03, 0.13 कुल किता 10 कुल रकबा 4.07 हैक्टर के रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

वादीगण का नाम सोनी देवी के स्थान पर सोहनी देवी तथा राजू के स्थान पर राजेश कुमार दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्ती किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ओर राजपैरोकार उपस्थित हो, अपना जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम देवीपुरा भूमि खसरा नम्बर 896 कुल रकबा 1.166 में 1/2 हिस्सा सोनी पत्नी मूलाराम का दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी ग्रमा देवीपुरा खाता संख्या 449 में सोहनी पत्नी मूलचन्द व खसरा नम्बर 716, 780, 781, 782, 783, 795, 796, 797, 798 में प्रार्थी राजू पुत्र मूलचन्द प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड भामाशाह कार्ड लाईसेंस में राजेश कुमार पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर होना पाया गया है। सोनी पत्नी मूलाराम , राजू पुत्र मूलचन्द के बजाया सोहनी पत्नी मूलचन्द उर्फ मूलाराम राजेश कुमार पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर किया जाता उचित है।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में ग्राम झाझडियों की ढाणी की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 पेश किया था। नाम के सम्बन्ध में दस्तावेजात के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि पेश किये जिसमे वादीगण का नाम सोहनी देवी एवं राजेश कुमार दर्ज है तथा राज पैरोकार द्वारा भी अपने जवाब में उक्त वादीगण का नाम सोहनी देवी पत्नी राजेश कुमार दुरूस्त करना उचित बताया जकार सहमति प्रदान की गई है। वाद वादिया न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। वाद वादिया स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम वाके देवीपुरा पटवार हल्का चिराणा की सरहद में खसरा नम्बर 896, 716, 780, 781, 782, 783, 795, 796, 797, 798 रकबा क्रमशः 1.16, 0.05, 0.03, 0.15, 0.05, 2.30, 0.04, 0.13, 0.03, 0.13 कुल किता 10 कुल रकबा 4.07 हैक्टर में वादिगण का नाम सोनी देवी के स्थान पर सोहनी देवी तथा राजू के स्थान पर राजेश कुमार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनूप सिंह (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner